उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–8
संख्या–2082/नौ.8.2018.
लखनऊः दिनांक– 09 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में संचालित पशुवधशालाओं के संचालन में पशुक्रूरता निवारण, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण प्रदूषण रोके जाने सम्बन्धी अधिनियमों/नियमों एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुपालन की स्थिति की जॉच हेतु संयुक्त निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1662/नौ–8–2018–107ज/2017 दिनांक 25.05.2018 द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग के पत्र संख्या–1431/अट्ठासी–18–15 रिट/17 दिनांक–27–6–2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में संयुक्त निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन निदेशालय का कोई पद स्वीकृत नहीं है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संस्तुति के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के स्थान पर अपर आयुक्त (प्रशासन), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को उक्त उप समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–1662/नौ–8–2018–107ज/2017 दिनांक 25.05.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या–2082(1)/नौ–8–2018 तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग/पंचायतीराज/पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/राज्य मंत्री जी नगर विकास विभाग।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी।
9. सुश्री गौरी मौलेखी, 161 कैलाश हिल्स, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलेश सिंह)
विशेष सचिव।